HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 8943/2026
URN: CW / 19851U / 2026

Uttarakhand Samaj Reg. Society, Having Office At 51/117, Sector 5, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur, 302033, Through Its President -Hari Singh Rawat, S/o Vache Singh, Aged About 59 Years, 70/109, Pratap Nagar, Sector 7, Sheopur, Sanganer, Jaipur 302033

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Chief Secretary, Government Secretariat, Jaipur.
2. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Urban And Housing Department, Government Of Rajasthan.
3. Housing Commissioner, Rajasthan Housing Board, Awas Bhawan, Janpath, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan.
4. Chief Estate Manager, Rajasthan Housing Board, Awas Bhawan, Janpath, Lalkothi, Jaipur, Rajasthan
5. Deputy Housing Commissioner, Jaipur Circle-I, Rajasthan Housing Board, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Lovesh Mamnani
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

20/07/2026

याची–समिति के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याची–समिति के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची एक पंजीकृत सहकारी समिति (co-operative society) है, जिसके द्वारा अयाचीगण संख्या 3 व 4 से भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना की तथा विहित प्रपत्रों (performa) में दिनांक 06.09.2018 को रियायती दर (concession rate) पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया था एवं निर्धारित फीस भी जमा करवा दी गई थी। इसके पश्चात् अयाचीगण द्वारा

जेडीए, नगर–निगम और अन्य स्थानीय निकायों से यह सूचना प्राप्त कर ली गई कि याची–समिति को पूर्व में रियायती दरों पर कोई जमीन आवंटित नहीं हुई है। उनका तर्क है कि उक्त कार्यवाही के पश्चात् मंत्रिमण्डल में 953.80 वर्गमीटर जमीन याची–समिति को आवंटित करने का निर्णय भी ले लिया गया और इस निर्णय के उपरांत याची–समिति को राशि जमा कराने के लिए कहा गया, जो दिनांक 06.10.2023 को ही याची–समिति द्वारा जमा करवा दी गई। याची–समिति के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची–समिति ने अपने स्तर पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां समय पर पूर्ण कर दी गईं। उनका तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 21.04.2026 द्वारा मंत्रिमण्डलीय अधिकारी समिति (Empowered committee) द्वारा आवंटन निरस्त करने की सूचना उन्हें दी गई है। उनका तर्क है कि उक्त निरस्तीकरण से पहले याची–समिति को अपना पक्ष रखने और उस पर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, साथ ही इस आदेश में कहीं भी आवंटन निरस्त करने का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है। आवंटन निरस्ती करने संबंधी आदेश विधि–विरुद्ध है।

विचार किया गया।

अयाची संख्या 1 से 5 के चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किए जावें।

याची–समिति के विद्वान अधिवक्ता नोटिस के लिए आदेशिका शुल्क एवं अतिरिक्त प्रति प्रस्तुत करें।

याची–समिति के विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम स्थगन की प्रार्थना की।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्तिथियों को देखते हुए अयाचीगण को यह अंतरिम आदेश दिया जाता है कि वे आगामी तिथि तक उस भूमि, जिसे याची–समिति को आवंटित करने का निर्णय पूर्व में लिया गया था और जिसके संबंध में याची–समिति द्वारा राशि जमा भी करवा दी गई थी, में किसी तृतीय पक्षकार के हित सृजित नहीं करें।

(SHUBHA MEHTA),J

12/NIMIT GOYAL/753